न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2016/97** दायर दिनांक **22.06.2008**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मांगूखाँ पुत्र रिमजूखाँ, जाति–शेरानी देशवाली, निवासी–गोदरास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नानूखाँ पुत्र पीरखाँ, 2. बिदामी पत्नी गुलाबखाँ, 3. आमीनखाँ पुत्र गुलाबखाँ, 4. शरीफ पुत्र गुलाबखाँ, 5. जलाल पुत्र गुलाबखाँ नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता बिदामी पत्नी गुलाबखाँ, समस्त,जाति–शेरानी देशवाली, निवासी–गोदरास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. घनश्याम पुत्र रामाकिशन, 7. सूरजदेवी पत्नी रामाकिशन, 8. श्रीराम पुत्र मोहनराम, 9. रामूराम पुत्र मोहनराम, समस्त,जाति–नाई, निवासी–बुड़ौद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. मंगीदेवी पत्नी स्व0 दीपाराम, 11. भँवराराम पुत्र स्व0 दीपाराम, 12. उगमाराम पुत्र स्व0 दीपाराम, 13. हेमाराम पुत्र स्व0 दीपाराम, 14. ज्ञानीदेवी पत्नी स्व0 मोतीराम, 15. नानूराम पुत्र स्व0 मोतीराम, 16. बायली पत्नी स्व0 हड़मानाराम, 17. मोहनराम पुत्र स्व0 हड़मानाराम, 18. किशनाराम पुत्र स्व0 हड़मानाराम, 19. मदन पुत्र स्व0 हड़मानाराम,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not ...
Scanned by CamScanner

		20. नारायणराम पुत्र दुलाराम, 21. देवाराम पुत्र गुलाराम, 22. रामीदेवी पत्नी मघाराम, 23. मालाराम पुत्र गुलाराम, 24. डालूराम पुत्र रतनाराम, 25. पुरखाराम पुत्र रतनाराम, 26. सूरजाराम पुत्र रतनाराम, 27. गोविन्दराम पुत्र रतनाराम, 28. नन्दाराम पुत्र स्व0 चौथाराम, 29. लोडुराम पुत्र स्व0 चौथाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–खुनखुना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 30. कमरदीखाँ पुत्र स्व0 मीरखाँ, 31. युसुफखाँ पुत्र स्व0 मीरखाँ, 32. मजीदखाँ पुत्र स्व0 कालूखाँ, 33. इस्लामखाँ पुत्र स्व0 कालूखाँ, 34. नसीबन पत्नी स्व0 कालूखाँ, समस्त,जाति–देशवाली, निवासी–खुनखुना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 35. मैनेजर, जयपुर थार ग्रामीण बैंक, शाखा–केराप, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 36. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व बन्टवारा
अन्तर्गत धारा–88, 53 **R.T. Act.**

उपस्थितः–

1. पक्षकारान् उपस्थित।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनांक **20.06.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, खेत खसरा नम्बर 96/291 रकबा 03.00 बीघा, खेत खसरा नम्बर 100/292 रकबा 02.05 बीघा, खेत खसरा नम्बर 100/293 रकबा 02.00 बीघा, खेत खसरा नम्बर 115 रकबा 06.02 बीघा, खेत खसरा नम्बर 129 रकबा 14.15 बीघा, खेत खसरा नम्बर 129/302 रकबा 01.15 बीघा, कुल रकबा 29.17 बीघा व खेत खसरा नम्बर 112 रकबा 12.10 बीघा, खेत खसरा नम्बर 112/295 रकबा 43.00 बीघा, खेत खसरा नम्बर 112/296 रकबा 11.15 बीघा, खेत खसरा नम्बर 112/297 रकबा 12.00 बीघा, खेत खसरा नम्बर 112/298 रकबा 01.10 बीघा, खेत खसरा नम्बर 112/299 रकबा 12.00 बीघा, कुल रकबा 92.15 बीघा वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी का वाकै सरहद बुड़ौद में अवस्थित है। नकल खतौनी सम्वत् 2068–2071 पेश है।

वादी के दादा अजीमखाँ के तीन पुत्र तारूखाँ, पीरखाँ व रिमजूखाँ थे। वादी के पिता रिमजूखाँ लगभग 50 साल पहले फौत हो चुके है। स्व0 तारूखाँ क एक पुत्र पप्पूखाँ है व स्व0 रिमजूखाँ के भी एक ही पुत्र मांगूखाँ है। पीरखाँ के चार पुत्र मोतीखाँ, गुलाबखाँ, नानूखाँ व इसूबखाँ हैं जिनमें से गुलाबखाँ फौत हो चुका है जिसके वारिसान् प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 हैं।

उपर्युक्त खेतों का सहखातेदार दीपाराम पुत्र दुलाराम फौत हो चुका है उसके वारिसान् प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 हैं। सहखातेदार मोतीराम पुत्र दुलाराम फौत हो चुका है उसके वारिसान् प्रतिवादीगण संख्या 14 व 15 है। सहखातेदार हणमानराम पुत्र दुलाराम फौत हो चुका है उसके वारिसान् प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 19 है। सहखातेदार मघाराम पुत्र गुलाराम फौत हो चुका है उसके वारिसान् प्रतिवादी संख्या 22 है। सहखातेदार चौथाराम पुत्र कुशालाराम फौत हो चुका है उसके वारिसान् प्रतिवादीगण संख्या 28 व 29 है। सहखातेदार हासमखाँ पुत्र महमदखाँ लाऔलाद फौत हो चुका है उसके वारिसान् नहीं है। सहखातेदार मीरखाँ पुत्र अलानूर फौत हो चुका है उसके वारिसान् प्रतिवादीगण संख्या 30 ता 34 हैं।

वादी के पिता रिमजूखाँ, पीरखाँ व तारूखाँ ने अपने जीवनकाल में मौखिक बन्टवारा कर लिया था जिस अनुसार ही उनके वारिसान् का कब्जाकाश्त हैं।

वादी अनपढ व भौला–भाला व्यक्ति है। वादी के पिता का स्वर्गवास के बाद प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 के पिता व पति गुलाबखाँ ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर फौतगी नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि वादी अपने पिता स्व0 रिमजूखाँ का इकलौता वारिस है।

वादग्रस्त भूमि सरहद बुड़ौद में खेत खसरा नम्बर 96/291 रकबा 03.00 बीघा, खेत खसरा नम्बर 100/292 रकबा 02.05 बीघा, खेत खसरा नम्बर 100/293 रकबा 02.00 बीघा, खेत खसरा नम्बर 115 रकबा 06.02 बीघा, खेत खसरा नम्बर 129 रकबा 14.15 बीघा, खेत खसरा नम्बर 129/302 रकबा 01.15 बीघा, कुल रकबा 29.17 बीघा में वादी अकेले का हिस्सा 2/3 भाग है तथा सरहद बुड़ौद में खेत खसरा नम्बर 112 रकबा 12.10 बीघा, खेत खसरा नम्बर 112/295 रकबा 43.00 बीघा, खेत खसरा नम्बर 112/296 रकबा 11.15 बीघा, खेत खसरा नम्बर 112/297 रकबा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

12.00 बीघा, खेत खसरा नम्बर 112/298 रकबा 01.10 बीघा, खेत खसरा नम्बर 112/299 रकबा 12.00 बीघा, कुल रकबा 92.15 बीघा की खातेदारी में वादी अकेले का 1/6 हिस्सा है। इसी अनुसार वादी का कब्जाकाश्त है। प्रतिवादी संख्या 01 नानूखाँ तथा गुलाबखाँ का नाम खातेदारी में गलत दर्ज हुआ है क्योंकि नानूखाँ व गुलाबखाँ स्व0 पीरखाँ के वारिसान् हैं इसलिए इनका नाम उक्त खातेदारी से हटाया जाना आवश्यक है। उक्त खेत में वादी अकेले की खातेदारी घोषित की जावे।

मामला अचल सम्पत्ति का है। जमीन विधिवत् बन्टी हुई नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नानूखाँ व गुलाबखाँ का नाम गलत रूप से दर्ज हो जाने से व वर्तमान में जमीनों के भाव बढ जाने से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 के मन में लालच आ गया है उक्त गलत खातेदारी की ओट मे उक्त भूमि को बैचने की फिराक में है इसलिए वादी बाबत् बन्टवारा दावा पेश करता है।

वाद हैतुक जब वादी दिनांक 02.06.2016 को अपने हिस्से की भूमि में काश्तकार्य करने गया तब प्रतिवादीगण ने उसे ऐसा करने से मना किया तथा उक्त भूमि को बैचान करने की धमकी दी तब बमुकाम ग्राम गोदरास व बुड़ौद में उत्पन्न हुआ।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद मौजा बुड़ौद में खेत खसरा नम्बर 96/291 रकबा 03.00 बीघा, खेत खसरा नम्बर 100/292 रकबा 02.05 बीघा, खेत खसरा नम्बर 100/293 रकबा 02.00 बीघा, खेत खसरा नम्बर 115 रकबा 06.02 बीघा, खेत खसरा नम्बर 129 रकबा 14.15 बीघा, खेत खसरा नम्बर 129/302 रकबा 01.15 बीघा, कुल रकबा 29.17 बीघा की खातेदारी में वादी अकेले का हिस्सा 2/3 भाग भूमि तथा सरहद मौजा बुड़ौद में ही खेत खसरा नम्बर 112 रकबा 12.10 बीघा, खेत खसरा नम्बर 112/295 रकबा 43.00 बीघा, खेत खसरा नम्बर 112/296 रकबा 11.15 बीघा, खेत खसरा नम्बर 112/297 रकबा 12.00 बीघा, खेत खसरा नम्बर 112/298 रकबा 01.10 बीघा, खेत खसरा नम्बर 112/299 रकबा 12.00 बीघा, कुल रकबा 92.15 बीघा की खातेदारी में वादी अकेले का 1/6 हिस्सा की खातेदारी अकेले का नाम से घोषित की जावे। प्रतिवादी संख्या 01 नानूखाँ व प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 के पिता व पति गुलाबखाँ का नाम उक्त खेतों की खातेदारी से हटाया जावे। वादी के बन्ट के अनुसार वादी की खातेदारी अलग से वादी अकेले के नाम राजस्व रिकॉर्ड में की जावे।

उपर्युक्त प्रार्थना वादीनुसार उक्त खेतों की खातेदारी में वादी अकेले का 1/6 हिस्सा के अनुसार खेतों का बन्टवारा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 35 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 36 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जर्ये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 व 04 ने इकबाली जवाब पेश किया।

प्रतिवादीगण संख्या 02, 05 ता 10, 13 ता 34 व 36 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वाद के समर्थन में वाद के संलग्न वादी का शपथ—पत्र, नक्शा ट्रेश व जमाबन्दी सम्वत् 2068—2071 खेवट संख्या 124 की प्रमाणित

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि, नक्शा ट्रेश व जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 खेवट संख्या 63 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश हुई।

प्रकरण, न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प गोदरास में पेश हुआ। पक्षकारान् उपस्थित। पक्षकारान् को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

पक्षकारान् वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाने पर अपनी–अपनी सहमति पेश करते हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार सरहद बुड़ौद के विवादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 34 सहखातेदार हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार हैं।

अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर सरहद मौजा बुड़ौद में खेत खसरा नम्बर 96 / 291 रकबा 03.00 बीघा, खेत खसरा नम्बर 100 / 292 रकबा 02.05 बीघा, खेत खसरा नम्बर 100 / 293 रकबा 02.00 बीघा, खेत खसरा नम्बर 115 रकबा 06.02 बीघा, खेत खसरा नम्बर 129 रकबा 14.15 बीघा, खेत खसरा नम्बर 129 / 302 रकबा 01.15 बीघा तथा सरहद मौजा बुड़ौद में ही खेत खसरा नम्बर 112 रकबा 12.10 बीघा, खेत खसरा नम्बर 112 / 295 रकबा 43.00 बीघा, खेत खसरा नम्बर 112 / 296 रकबा 11.15 बीघा, खेत खसरा नम्बर 112 / 297 रकबा 12.00 बीघा, खेत खसरा नम्बर 112 / 298 रकबा 01.10 बीघा, खेत खसरा नम्बर 112 / 299 रकबा 12.00 बीघा का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 34 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है।

वादी व प्रतिवादीगण के विभाजन से आये हिस्से में आने–जाने हेतु, संयुक्त रूप से रास्ते की भूमि उपलब्ध करवाते हुए, विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में तैयार कर, न्यायालय में पेश किया जावे।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–गोदरास

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक **20.06.2017** को सरे कोर्ट कैम्प–गोदरास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–गोदरास

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner